OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER
9TH FLOOR Mayur Bhawan New Delhi - 110001

5570

Regd AD

No. 7PERC/Coord DL 29900/Coverage 5417 Dated the 8/11/04

To

M/s Epicurean Hospitality Services Pvt. Ltd.
B-26, Defence Colony,
New Delhi-24

Sub : Applicability of dthe Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 and the schemes framed thereunder to M/S. as above

Dear Sirs,

On the basis of particulars furnished by you on 5/11/04 and on this basis of sthe inspection of the records of your eastlishment conducted by the Enforcement Officer on.......... it is evident that :

(a) Your establishment /factory viz M/s. as above is engaged in Export Services which is included in schedule I/classess of establishment in Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952

(b) that the said establisment/factory has employed 23 persons on 1/10/04

(c) that is has completed the infancy period in terms of provisions of Sec 16(1)(b) of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provistos Act 1952 of 3 years on in.......... Therefore, the provisions of the EPF and Misc Provisions Act 1952 and the schemes framed thereunder are applicable to your above named establishment together with head office and its branches/departments whether situated at the same place or at different places with effect from 01/10/04 finally/provisionally, subject to further verification of your records for the earlier period.

With reference to your application No........ dated.......you are hereby allotted code No. DL ______________ on administrative grounds wef .... Please not that this will not effect the original applicability of the establishment and it will be treated as part and parecel of the parent unit for all purposes (damages etc)Employees share for the period to will not be waived off.

With reference to your application No.......... dated.......... received for extension of EPF & Misc Provisions Act 1952 under section 1(4) of the said act, on voluntary basis a code No is hereby allotted to your establishement namely DL______________provisionally covering your establishment with effect from.......... pending issue of a notification by the Govt. of India in exercise of the powers conferred on them by Sub-Section (4) of Section 1 of the EPF & Misc. Provisions Act 1952

The Code No DL/29900 is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the EPF & Misc. provisions Act, 1952 and the schemes framed thereunder namely,EPF Scheme, 1952 Employees Pension Scheme 1995 and Deposit Linked Insurance Scheme 1976. This Code No. should invariably be quoted in all the correspondences with this office.

The contribution payable by the employer shall be @ 12 % of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

I. The contribution shall be calculated on the basic wages dearness allowance etc. payable during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis

II. each contribution shall be calculated to the nearest rupee i.e 50 paise or more to be counted as the next higher rupee, and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored

III. for the purpose of calculation of contribution the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored

Cont'd on page 2-

Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contribution Fund from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner ;-

(a) E.P.F. contribution	To be deposited in E.P.F. A/c. No. 1
(b) Administrative charges	To be deposited in E.P.F. A/c, No. 2
(c) Family Pension	To be deposited in Employees, Family Pension A/c No. 10.

Note : (1) The rate of administrative cherges is 0.65% w.e.f. 1-10-85) subject to a minimum of Rs. 5/-) of pay basic wages, dearness allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any,

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the member's wages, the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery of arrear, contributions for the back period from the subsequent wages of the employee's is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time due to accidental mistake or clerical error.

(irr) The Family Pension Scheme will be applicable from prospective date i,e. 1st of the month of issue of this coverage notice.

Besides making deposits in A/c. No. 1, 2 and 10 as explained above, you are also required to deposit the contributions and Adm. Charges in Account No. 21 and 22 under the employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(1) Deposit-Link Insurance Fund A/c. No: 21	To this account contributions will be deposited @ 0 5% which will be the aggregate the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance if any, payable to the employees by employer.
(2) Deposit Linked Insurance Fund Administrative Charges A/c No. 22	To this account will be deposited the administration charges @ 0.01% (w.e.f. 1-10-87) subject to a minimum of Rs. 2 which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession ane retaining allowance,) if any, payable to the employees by an employer' Prior to this the rate was 0.1%.

The deposit in the above accounts, viz.. 1,2,10,21, and 22 are to be made by separate challans and triplicate copies of the challans as received from the Bank, should be forwarded to this office duly attached with Form No 12A (Revised) (explained below).

You are required to maintain/forward the following returns ;-

(i) Form No. 9 Revised under the E.P.F. Scheme 1952 & F.P.F, Scheme 1971.	This is to be submitted to this office once in respect of those employees who are required, or entitled, to become members on the date the factory/establishment is covered under the scheme,
(ii) Form No; 2 under the E,P,F, Scheme, 1952 and also under the F,P,F, Scheme 1971,	These are to be obtained in duplicata form every member for submission to this office,
(iii) Form No, 5-A	This is to be submitted to this office in duplicate, Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form,
(iv) Form No, 3-A	This is to be maintained at the factory/establishment, in respect of every employee who is a member, in which the contribution paid to the P,F, are to be posted every month.
(v] For m No, 6-A	This is a annual return of conribution and is to be submitted to this office with in 30 days of the close of the financial year, along with from 3A (Last contribution to be shown for Feb,- payable in March each year),

(Hindi verion at overleaf)

Contd, page 3

4. सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटें और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक मास की 15 तारीख तक भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में संबंधित चालनो द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें ।-

(क)	क. भ. नि. अंशदान	क. भ. नि. लेखा सं॰ 1 में जमा कराया जाए ।
(ख)	प्रशासकीय प्रभार	क. भ. नि. लेखा सं॰ 2 मे जमा कराया जाए ।
(ग)	प॰ पेंशन अंशदान	क. प. से. लेखा सं॰ 10 में जमा कराया जाए ।

टिप्पणी : (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1-10-86 से वेतन, मूल वेतन, महगाई भत्ता जिस खाद्य मुल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोर हैं, का 0.65% है जो न्यूनतम 5 रूपए है ।

(ii) कृपया इस बात कों नोट किया जाए कि यदि सदस्य क वेंतन से समय पर कटौती नही की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध हैं केवल उन मामलो को छोड़कर जहां ये वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नही हो सकी ।

(iii) परिवार पेंशन स्कीम इस कवरेज नोटिन कें जारी होने के वाद अगले माह की पहली तारीख से लागू होगी।

5. उल्लिखित लेखा संख्या 1,2 और 10 से जमा कराने के अतिरिक्त आपने यह भी अपेक्षित हैं कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 कें अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा सख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनो कें अन्दर निम्नलिखित रुप से जमा करायें ।

(i)	निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सख्या 21	इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए वाला मूल वेतन, महगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य में रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई हैं, कुल राशि की 0.5% होगी ।
(ii)	क्षेत्रीय बीमा निधि परशासकीय लेखा संख्या 22	इस लेखे में परशासकीय परभार की दर 1-10-87 से नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता; जिसमें खाद्य मूल्य सबंधी रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई हैं,की कूल राशि की 0 01% होगी । जो न्यूनतम 2 रुपये परतिमाह है । इससे पूर्व वह दर 0.1% थी ।

उपरोक्त लेखों अर्थात 1, 2,10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों कें माध्यम से जमा कराई जाएगी और बैंक से पराप्त चालानो की तीन परतिया फार्म सख्या 12 क (सशोधित) (नीचे उल्लिखित) कें साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए ;

6. आपसे यह आपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करे :-

(i)	क, भ. निं. स्कीम, 1952 तथा कु॰ पे॰ स्कीम 1971 कें अन्तर्गत फार्म स॰ 9 (संशोधित)	यह रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करानी होती हैं जिन्हे फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए हैं
(ii)	क॰ भ. निं. स्कीम और कु. प निधि के अन्तर्गत फार्म स॰ 2	यह फार्म परत्येक सदस्य से दों परतियों मैं परयाप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए ।
(iii)	फार्म स॰ 5-क	यह दो परतियों मैं इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए मालिको में किसी भी परकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ।
(iv)	फार्म स॰ 3-क	यह प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म हैं जिसे फैक्टूरी/स्थापना में ही रखा जाना चाहिए । इस फार्म में भ॰ नि॰ में किए गए अंशदान की परतिमाह परविष्टि करनी होती हैं ।
(v)	फार्म स॰ 6-क	यह अंशदान की वार्षिक विवरणी हैं और इसे परत्येक वित्तीय बर्ष की समाप्ति पर 30 दिनो के भीतर फार्म 3-क के साथ (फरवरी) माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान परत्येक वर्ष मार्च से अदा किया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को परस्तुत करना होता हैं ।

क्रमश : पेज 3

(vi) Form

(vi) Form No. 12-A — This is the monthly return of contribution and is to be submitted to this office by 25th of every following month. Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(vii) Form No. 5 & 10 — These are the returns of employees who have become new member or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952' the Employees Pension Scheme, 1995, and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, are available in the P.F. office and will be supplied free of cost on receipt of your indent. The Speciman of forms are enclosed.

Regarding Employees' Pension Fund contributions, it should be separated from the Employeer' Provident Fund Contribitions and shown separately in the respective Forms and remitted separately in Account No. 10 from the month of ...01/10/04............ on wards.

As regards E.P.F. and E.D.L.I. dues for the period from ...01/10/04...... to ...date...... arrears should be remitted ~~on or before~~ ...within 15 days from the date of receipt of the same.

In case, the employees shown in form 9 (Revised) were the members of the establishment's Private Provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. 1 through the prescribed challans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amounts relating to the Provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed, Cash and hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted within 30 days from the receipt of this communication, falling which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

The receipt of this letter along with its enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

A.S.A. Regional Provident Fund Commissioner

Encls :

1. Instructions regarding implementation of the Employees' Provident Fund Scheme, employees' F.E. Pension Scheme, and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme.
2. Instructions regarding allotment of Account Nos.
3. Instructions regarding transfer of Provident Fund Accumulations and transfer of securities.
4. Ready Reckoner for calculation of Provident Fund contributions, Family Pension contribution and Deposit Linked Insurance Contributions.
5. Form 5A (in triplicate).

Copy to :

1. The Enforcement Officer Shri/Smt. .... for watching compliance. He/she is requested to obtain 5-A in duplicate in respect of the establishment immediately. He/She is advised to finalise the coverage within 45 days as per instructions contained in CPFC's circular No. E-72/11(28) 80/PN dated 6-6-81.
2. Accounts Branch (Nehru Place/Gupta Complex) (It is understood that this factory/establishment has/has no previous Provident Fund accumulations to transfer to E.P.F. This may please be noted in the contributions Register maintained in the Group with suitable remarks).
3. Enforcement Branch .... Section.
4. File No. E/DL/ ...29900...
5. R.P.F.C. .... with reference to their letter No .... dated .... for information and necessary action.

For : Regional Provident Fund Commissioner

(vi) फार्म सं. 12–क

यह अंशदान का मासिक रिर्टन फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह को 25 तारीख तक इस कार्यलय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से संबंधित चालान की तीसरी प्रतियां इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(vii) फार्म सं. 5 और 10

यह उन कर्मचारियों से संबंधित रिर्टन है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते है या नौकरी छोड़ जाते है और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से संबंधित सभी निर्धारित फार्म भविष्य कार्यलय में उपलब्ध है और इन्हे नि:शुल्क आपका मांग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

8. कर्मचारी पेंशन स्कीम अंशदान के संबंध में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और संबंधित फार्मो मे अलग से दिखाते हुए .... माह से लेखा सं. 10 में जमा करना होता है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से संबंधित .... से .... तक की बकाया राशि .... को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फाम सं. 9 (संशोधित) में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते मे जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जाए और चालान की तीसरी प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए। भविष्य निधि की निवेश की गई समस्त राशि से संबंधित सभी प्रति भूतियों का चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाए और हस्तांतरित की गई इस प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गए निदेशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ का इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अंतरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नको की पावती भेजें।

भवदीय

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्नक

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से संबधित निदेश।

2. लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धित निदेश।

3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निदेश।

4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कूटुम्ब पेंशन अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की सगणना से संबंधित रेडी रेकनर।

5. फार्म 5–क (तीन प्रतियों में)।

प्रतिलिपि :

1. श्री/श्रीमती .... भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रषित की जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना के संम्बधित फार्म 5–क की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त करें। उन्हे सलाह दी जाती है कि वे के.भ.नि.आ. के परिपत्र सं. इ–72/11 (28) 80/पीएन दिनांक 6.6.1981 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार 45 दिन के भीतर कवरेज का स्थायी करें.

2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय ..../यह समझा जाता है कि इस फैक्टरी/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है इसे ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रहिस्टर में आवश्यक अभ्युध्कतयों के साथ नोट किया जाए)।

3. प्रवर्तन शाखा .... अनुभाग।

4. फाइल सं. इ/डीएल/ ....

5. क्षे. भ. नि. आ. .... का उनके पत्र सं. .... दिनांक .... के सर्न्दभ में सूचना और आवश्यक कार्यवाई हेतु।

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

रजिस्टर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

DIV. OFFICE OKHLA
NEW DELHI 110020

संख्या : DRO : स्थापी. : 11-10-61859-112

दिनांक 28 DEC 2004

सेवा में,

मैसर्स Epicurean Hospitality Services Pvt. Ltd.
B-26, Defence Colony, New Delhi-24

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथा-संशोधित) की धारा 2 (12)/1(5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं० एस०एफ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है।

	स्थापनाओं का विवरण	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	क०रा० बीमा निगम (एसिक) योजना के विस्तार की तारीख
1.	पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भी दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।	एफ-27(2)/75-लैब 28-3-75	29-3-75
2.	पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।	-वही-	-वही-
3.	निम्नलिखित स्थापनाएं जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे :-	-वही-	-वही-
	1. होटल 2. रेस्तरां		
	3. पूर्व दर्शन थियेटर सहित सिनेमा		
	4. सड़क मोटर परिवहन	एफ-27(2)/74-लैब	28-3-76
	5. समाचार पत्र परिवहन	दिनांक 26-3-76	
	6. दुकानें	एफ-28(20)/88/आई.एम.पी.लैब दिनांक 30-9-88	2-10-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदान की अदायगी करें।

ठेकेदार का पंजीकरण/क०रा०बी० अधिनियम में अधीन कूट संख्या सहित व्याप्त दुकान या कारखाना के स्वतंत्र आसन्न नियोजक धारा 40(1) और 41 के अधीन अपने प्रधान नियोजक के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किये जा सकते।

कृ०पृ०उ०

आपके द्वारा आपकी फैक्टरी/स्थापना के संबंध में दिए गए ब्यौरों सहित दिनांक 27/10/04 को बीमा निरीक्षक/शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फैक्टरी/स्थापना 1/10/04(P) तारीख से अंतिम/अनन्तिम रूप से अधिनियम की धारा 2(12)/2(5) के अन्तर्गत व्याप्ति में आती है लेकिन यदि बाद के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फैक्टरी/स्थापना उपरिलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त वर्णित तारीख से शामिल की जानी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख के अधिनियम के उपबंधो का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपनी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन शामिल किये जाने की तारीख से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने घोषणा पत्र भरने तथा अंशदान का भुगतान करने रिकार्ड के अनुरक्षण आदि के संबंध में शीघ्र कारवाई करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी फैक्टरी स्थापना को कूट सं० 11-10-61859-112 आंबटित की गयी है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रादि में तथा फार्मों में निर्दिष्ट स्थानों पर इस कूट संख्या का प्रयोग करें।

Ashram पर स्थित स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुदेश दिये गए हैं। यदि कोई कठिनाइ हो तो आप कृपया उपर्युक्त शाखा कार्यालय के प्रबंधक से सम्पर्क करें जो मामले में आपकी अपेक्षित सहायता करेगा। निवेदन है कि आप अपनी फैक्टरी/स्थापना में राज्य बीमा औषधालयों की संलग्न सूची का प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी आपने राज्य बीमा औषधालयों का चुनाव कर सकें। सभी अपेक्षित फार्म आदि उपर्युक्त शाखा कार्यालय से प्राप्त करें, उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी संबंध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का चुनाव करके और उसकी सूचना इस कार्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आपके द्वारा जिस शाखा में राशि जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी फैक्टरी स्थापना की नामजद शाखा मान लिए जाएगा।

निगम कर्मचारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की बाध्यताओं का पालन करने में आपकी सभी आवश्यक हर संभव सहायता करेंगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों तथा विनियमों का तत्परता से और समय पर पालन करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार से संलग्न फार्म 01 विधिवत भरकर इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें।

यदि किसी ईकाई के पते/स्थिति में या आवासीय पते में या ईकाई की मालिकाना स्थिति में या आपके द्वारा बैंक खाते के संदर्भ में जो सूचना पहले दी गई है, में कोई परिवर्तन हुआ है तो कृपया पंजीकृत डाक द्वारा शीघ्र सूचति करें।

भवदीय,

क्षेत्रीय निदेशक Director
(P.K.N.Namboodiri)

संलग्न

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को प्रषित

1. शाखा कार्यालय Ashram
2. समन्वय शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु। Inepsctorate Cell
3. श्री/सुश्री Ashutosh Giri बीमा निरीक्षक, प्रभाग सं० ...... को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस फैक्टरी कही अन्तिम व्याप्ति की तारीख निर्धारित करने की प्रक्रिया तीन माह के अन्दर अवश्य पूर्ण करें।
4. गार्ड फाईल।
5. मुख्य कारखाना निरीक्षक 15, राजपुर रोड, दिल्ली को सूचनार्थ।
6. R.P.F.C., EPFO, मयूर भवन, नई दिल्ली।

C-6
E-23

कृते क्षेत्रीय निदेशक